खाद-बीज तय समय में दिलाना होगा

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

राज्य सरकार ने किसानों को अनिवार्य रूप से तय समय में खाद-बीज व कीटनाशक आदि मुहैया कराने के लिए कृषि विभाग को जनहित गारन्टी कानून के दायरे में ला दिया है।

कानून में संशोधन करके खेती-किसानी से जुड़ी वस्तुओं को उपलब्ध कराने की समय सीमा तय कर दी गई है। इस संबंध में जनहित गारन्टी एक्ट में संशोधन के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोकसेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि जिला कृषि अधिकारी (जायद, खरीफ एवं रबी) के बीजों की व्यवस्था सीजन शुरू होने के 30 दिन के भीतर करेंगे, ताकि किसानों को कोई कठिनाई न हो।

इसी प्रकार जिला कृषि रक्षा अधिकारी जायद, खरीफ एवं रबी सीजन के लिए कृषि रक्षा केमिकल भी 30 दिनों में हर हाल में मुहैया कराएंगे। विभाग के उपनिदेशक को अब फसल बीमा के मामले 30 दिन में हल करने होंगे। जिला कृषि अधिकारी को बीज एवं उर्वरक, उपप्रभागीय कृषि विस्तार अधिकारी को कृषि यंत्र तथा कृषि रक्षा अधिकारी को कृषि रक्षा केमिकल एवं कृषि रक्षा यंत्रों की व्यवस्था डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत क्रमशः 30 दिनों में हर हाल में उपलब्ध करनी होगी।

यदि सम्बन्धित अधिकारी तय अवधि में मामलों का निपटारा या खाद-बीज आदि समय पर नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तो प्रथम अपीलीय अधिकारी उप निदेशक 30 दिन में या द्वितीय अपीलीय अधिकारी मण्डलीय सयुंक्त निदेशक 15 दिनों में समस्या का निराकरण करेंगे।